न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक/ /2017 रिव्यू (पुनरावलोकन)

III/पुनर्विलोकन/सीहोर/भू.रा./2017/3602

आवेदक ------ शरीफ राईन पुत्र स्व. हाजीखुदावक्श निवासी बालागंज मौहल्ला, तहसील व जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

विरूद्ध

अनावेदकगण-----

1. अर्जुन मालवीय पुत्र श्री छोटेलाल मालवीय निवासी वार्ड नं.4 ब्लॉक ऑफिस के पास बुधनी तहसील बुधनी, जिला सीहोर
2. श्रीमती समीना अन्जुम अब्दुल पुत्री अल्लवक्श पत्नी श्री अन्जुम अब्दुल निवासी 247 मुदलियार चौक मांगीलभाग शांतिनगर, नागपुर तहसील व जिला नागपुर (महाराष्ट्र)
3. श्रीमती अकीला बी पुत्री अल्लावक्श पत्नि श्री मो. इस्हाक निवासी गाम कुरवाई तहसील कुरवाई जिला विदिशा म.प्र.
4. श्रीमती शकीला उर्फ सना अली पुत्री श्री अल्लवक्श पत्नि श्री आरिफ अली निवासी 446 सी ब्लॉक गली नं. 34 से 44 तक शारदा नगर नारियल खेड़ा भोपाल म.प्र.

श्री प्रदीप श्रीवास्तव एड. द्वारा आज दि. 29-9-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 29-9-17

CF. 06.10.17.

रिव्यू आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू.रा.संहिता विरुद्ध आदेश माननीय श्री सोहेल अली सदस्य के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक निगरानी 402–दो/2017 शरीफ राईन विरुद्ध अर्जुन मालवीय आदि में पारित आदेश दिनांक 22.8.2017

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से रिव्यु आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, आवेदकगण ने माननीय न्यायालय में तहसीलदार महोदय बुधनी जिला सीहोर द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/अ–6/16–17 लंबित है जिसके पक्षकार अर्जुन मालवीय बनाम समीना अंजुम हैं में प्रारंभिक आपत्ति पेश की थी जो दिनांक 27.01.2017 को निरस्त कर दी गई के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की थी।
2. यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित बहस का कोई हवाला नहीं दिया गया है जबकि आवेदक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक तीन / पुर्नावलोकन / सीहोर / भू.रा. / 2017 / 3602

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11 –1 –18	आवेदक अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2–यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 402–दो / 2017 में पारित आदेश दिनांक 122.8.17 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक रिव्यु तीन / पुर्नावलोकन / सीहोर / भू.रा. / 2017 / 3602 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण क्रमांक निगरानी 402–दो / 17 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 22.8.17 से किया जा चुका है। 4– तीन / पुर्नावलोकन / सीहोर / भू.रा. / 2017 / 3602 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं। उनके	

विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य